



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024 / 496

दर्ज तिथि:-07.11.2024

- दानाराम पुत्र भारताराम
जाति रबारी निवासी जूड़ी तहसील गुडामालानी-बाड़मेर।

.....वादीगण

- हेमा पुत्र रामा
- हनुमान पुत्र रामा
- तुलसी पुत्र रामा
जाति जाट निवासी बारूडी तहसील गुडामालानी
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी
- केसरा पुत्र मियासा
- मांगा पुत्र केसरा
जाति रबारी निवासी जूड़ी तहसील गुडामालानी

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:- श्री सुखराम विश्नोई
प्रतिवादीगण:-श्री चिमनसिंह चौधरी

वाद अन्तर्गत धारा-183, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि.-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-22.12.2025

- आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी में अवस्थित हैं। वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी



के पड़ोस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 488 / 216 / 15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489 / 216 / 0.2104 है0 गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम बारुड़ी पटवार मण्डल भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी अवस्थित हैं। असल प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काशत की भूमि का सेढा तोड़कर मौके से बेदखल कर पक्का निर्माण करने पर उतारू है। जब प्रतिवादीगण को कब्जा नहीं करने का कहा तब प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काशत की 5 बीघा भूमि पर पक्का निर्माण करने की धमकिया दी गई एवं वादी की भूमि का सेढा तोड़कर पक्की सड़क निकालने पर उतारू है। इस कारण वादीगण को द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्तागण हाजिर न्यायालय हुए। प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने के अनेक अवसर दिए जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादीगण का जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण तनकीयात कायम करना आवश्यक नहीं होने के कारण पत्रावली पर वादीगण साक्ष्य में रखी गई। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पत्रावली बहस में नियत की गई।
3. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण दो प्रमुख अनुतोष चाहे गए है। वादीगण का प्रथम अनुतोष वादीगण की खातेदारी आराजी के 5 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण के कब्जा को हटवाने हेतु प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने एवं कटाण रास्ते पर सड़क निकलवाने से संबंधित है। द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में सर्वप्रथम प्रथम अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काशतकारी अधिनियम-1955 की धारा-183 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

183. Ejectment of certain trespasser—

(1) Notwithstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

(2) In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of

section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-183 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-183 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी के किसी भूमि पर अवैध कब्जा होने/करने/कब्जा जारी रखने की स्थिति में उक्त अतिक्रमी उक्त भूमि से बेदखल किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।
7. प्रकरण में वादीगण अनुसार प्रतिवादी की आराजी के सीमाज्ञान के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्पष्ट हुआ। वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटाने हेतु निवेदन किया। परंतु प्रतिवादीगण कब्जा नहीं हटाया। इस कारण वादीगण को द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।
8. प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से अनुसार स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 488/216/15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489/216/0.2104 है0 गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम बारूड़ी पटवार मण्डल भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी अवस्थित हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जा करार दिया जाता है।
9. साथ ही प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी

पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानते हुए प्रतिवादीगण को उक्त कब्जेशुदा आराजी का खातेदार मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जे के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-5 (44) के अन्तर्गत अतिक्रमी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

(44) "Trespasser" shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;

10. इस प्रकार उक्त विश्लेषण के अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में प्रथम अनुतोष स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को हटाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में सर्वप्रथम द्वितीय अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

12. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की

आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

13. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

14. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीगण की आराजी पर पूर्व में हुए अवैध कब्जे से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना

		<p>संभव नहीं है। क्योंकि वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किए गए अवैध कब्जे से वादीगण को कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान होते हैं। वादीगण को अपनी खातेदारी आराजी पर किसी अन्य व्यक्ति के अवैध अतिक्रमण से होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान नुकसान के आंकलन हेतु कोई स्पष्ट मानक/मापदंड निर्धारित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>2. साथ ही अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को अनवरत रखने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव नहीं होकर न्यायसंगत होना प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।</p>
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीगण की आराजी पर पूर्व में हुए अवैध कब्जे से होने
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान की	

	<p>आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।</p>	<p>वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं है।</p> <p>2. साथ ही अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को अनवरत रखने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।</p>
4.	<p>जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।</p>	<p>1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। वादीगण द्वारा इस हेतु बेदखली का वाद लाया गया है।</p> <p>2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे।</p> <p>3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता</p>

		<p>है तो भविष्य में भी मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे।</p> <p>4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।</p>
--	--	---

15. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा अवैध होना तथा प्रतिवादीगण का अतिक्रमी घोषित होने के आधार पर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द किए जाने बाबत् अनुतोष स्वीकार किया जाता है। साथ ही उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना

वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत न करने के साथ ही प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर बेदखली नहीं करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024 / 496

दर्ज तिथि:-07.11.2024

- दानाराम पुत्र भारताराम
जाति रबारी निवासी जूड़ी तहसील गुडामालानी-बाड़मेर।

.....वादीगण

बनाम

- हेमा पुत्र रामा
- हनुमान पुत्र रामा
- तुलसी पुत्र रामा
जाति जाट निवासी बारूड़ी तहसील गुडामालानी
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी
- केसरा पुत्र मियासा
- मांगा पुत्र केसरा
जाति रबारी निवासी जूड़ी तहसील गुडामालानी

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:- श्री सुखराम विश्नोई
प्रतिवादीगण:-श्री चिमनसिंह चौधरी

वाद अन्तर्गत धारा-183, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि.-1955

-:पर्चा डिक्री:-

वादी का वादपत्र वादीगण की खातेदारी
आराजी खसरा संख्या 63/0.0486 है0 व
64/10.9589 है0 वाके ग्राम जूड़ी पटवार
मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील
गुडामालानी के आंशिक भाग पर

प्रतिवादीगण का कब्जा अवैध होना तथा प्रतिवादीगण का अतिक्रमी घोषित होने के आधार पर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द किए जाने बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाता है। साथ ही उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत न करने के साथ ही प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर बेदखली नहीं करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

यह डिक्री आज दिनांक 22.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर

